

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 41/2022

सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

सुवा पुत्र छीतर जाति मेघवाल निवासी ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर
जरिये विधिक वारिसान :-

1/1. राधा पत्नि सुवा मृतक

1/2. हीरा पुत्र सुवा

1/3. भागचन्द पुत्र सुवा

समस्त जाति मेघवाल निवासी ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर
राज0

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :-

श्री ओम प्रकाश गुर्जर,

राजकीय अभिभाषक

श्री मनोहर लाल प्रजापत

अभिभाषक अप्रार्थीगण

—: आदेश :-

दिनांक— 08.05.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा आदेश क्रमांक/225 दिनांक 21.06.1995 को ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर के खसरा नम्बर 447 मिन रकबा 8 बिस्वा (वर्तमान खसरा नम्बर 2254 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म चाही 2) भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत अप्रार्थी के पूर्वज को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। आवंटन की शर्तों के अनुरूप आवंटित भूमि में अप्रार्थी को कब्जा सम्भलाये जाने के वर्ष कम से कम 50 प्रतिशत भाग पर तथा उसके पश्चात सम्पूर्ण आवंटित भूमि पर काश्त की जानी थी किन्तु पटवारी हल्का तिलोरा तथा भू-अभिलेख निरीक्षक नांद की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 अनुसार मौके पर उक्त खसरा नम्बर पर आवंटी/अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है तथा आवंटी/अप्रार्थी ने आवंटन की शर्तों के अनुरूप काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की ऐसी स्थिति में आवंटी/अप्रार्थी के पूर्वज को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अतः ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर के खसरा नम्बर 447 मिन रकबा 8 बिस्वा (वर्तमान खसरा नम्बर 2254 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म चाही 2) में अप्रार्थी के पूर्वज को किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि सिवायचक दर्ज करने का आदेश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1/2 व 1/3 की ओर से श्री मनोहर लाल प्रजापत अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 1/3 ने जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 1/2 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए, तत्पश्चात दिनांक 22.10.2024, 26.11.2024, 28.1.2025, 30.05.2025, 19.9.2025, 17.10.2025, 21.11.




जिला कलक्टर
अजमेर

2025, 19.4.2025 को जवाब हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किये जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया । जवाब बन्द कर बहस पेरोकार सरकार की सुनी गई। तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 में अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन की शर्तों के अनुरूप काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। पेरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर एकपक्षीय सुना गया।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि उपखण्ड अधिकारी अजमेर के द्वारा आदेश क्रमांक 225 दिनांक 21.06.1995 को ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर के खसरा नम्बर 447 मिन रकबा 8 बिस्वा (वर्तमान खसरा नम्बर 2254 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म चाही 2) भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत अप्रार्थी के पूर्वज को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। आवंटन की शर्तों के अनुरूप आवंटित भूमि में अप्रार्थी के पूर्वज को कब्जा सम्भलाये जाने के वर्ष कम से कम 50 प्रतिशत भाग पर तथा उसके पश्चात सम्पूर्ण आवंटित भूमि पर काश्त की जानी थी किन्तु पटवारी हल्का तथा भू-अभिलेख निरीक्षक की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 अनुसार मौके पर उक्त खसरा नम्बर पर आवंटी/अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है तथा आवंटी/अप्रार्थी ने आवंटन की शर्तों के अनुरूप काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की ऐसी स्थिति में आवंटी/अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अतः ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर के खसरा नम्बर 447 मिन रकबा 8 बिस्वा (वर्तमान खसरा नम्बर 2254 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म चाही 2) में अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि सिवायचक दर्ज करने का आदेश प्रदान करे।

अप्रार्थी संख्या 1/3 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान 1995 राजस्व अभियान केम्प स्थान तिलोरा क्रमांक 225 दिनांक 21.06.1995 छोटी पट्टी आवंटन आदेश के क्रम संख्या 14 सुवा पुत्र छीतर को खसरा संख्या 447 मिन रकबा 00-08-00 बीघा भूमि किस्म बरानी 3 आवंटित की गई थी राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.11.1992 की अनुपालना में ग्राम तिलोरा में दिनांक 15.06.1995 को राजस्व शिविर मुकाम तिलोरा पर आयोजित होकर आवंटित की गई थी। तत्पश्चात वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2072-2075 में खातेदार काश्तकार होकर खसरा संख्या 2254 रकबा 0.06 हैक्टर भूमि का सुवा पुत्र छीतर को घोषित कर दिया गया तथा खसरा गिरदावरी भी वर्तमान में अप्रार्थी के नाम जारी की गई है। इस आधार पर अप्रार्थी को आवंटित उपरोक्त आराजीयात पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14 (4) माननीय तहसीलदार द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो निराधार व निरर्थक होने से खारिज किये जाने योग्य है। राजस्थान कृषि प्रयोजनाजनार्थ आवंटन नियम 1970 की धारा 14 (3) माननीय राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन द्वारा प्रतिस्थापित/डिलीट कर दी गई है जो कि आवंटन की शर्तों में बाध्यकारी शर्त में तथा उक्त आधार पर आवंटन निरस्त नहीं । तहसीलदार महोदय ने वर्ष 2022 में आवंटन आदेश को चुनौति दी है जो कि आज 30 वर्ष पश्चात उक्त आवंटन को चुनौति तहसीलदार द्वारा दी गई है जो कतई कानून के तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं विभन्न उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल के दृष्टांते के अनुसार इस आधार पर आवंटन को चुनौति नहीं दी जा सकती है। क्योंकि वर्तमान अप्रार्थी सुवा पुत्र छीतर आज दिनांक में आवंटित आराजीयात के खातेदार काश्तकार है तथा एक खातेदार काश्तकार को इस आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त होने के




जिला कलक्टर
अजमेर

बाद आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता है तथा 30 वर्ष विलम्ब के पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र को संधारण योग्य नहीं माना जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। प्रश्नगत आराजी भूमि आवंटन वर्ष 1995 से आज तक प्रश्नगत भूमि पर आवंटन पश्चात् आवंटी द्वारा किसी भी वर्ष में फसल काशत नहीं की गई है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा भू आवंटन/नियमन के नियमों में पूर्व निर्धारित नियम यथा प्रथम वर्ष में 50% तथा अगले वर्ष में सम्पूर्ण भू-भाग पर फसल काशत करने की शर्त को विलोपित कर दिया है किन्तु आवंटी द्वारा उनके पक्ष में हुये आवंटन/नियमन पश्चात् लगातार लगभग 8-10 वर्षों में एक बार भी काशत नहीं कर नियम 14(3) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर की जमाबन्दी सं. 2076 के अनुसार नियमित भूमि आवंटी के नाम दर्ज है। राज. भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के अनुसार "अतिचारियों को भूमि का आवंटन" के उप नियम 1 के अनुसार भू संशोधन के अवशेष प्रकरणों की भूमि को सम्बन्धित के पक्ष में आवंटन/नियमन किये जाने का संशोधन किया गया है। इन्हीं संशोधनों के अनुसरण में आवंटन/नियमन, सम्बन्धित के हक में किया गया है जिसके लिये उपरोक्त नियम के नियम 20(2) के अनुसार "आवंटन के उपरान्त अतिचारी इन नियमों में उपबन्धित आवंटन शर्तों से आबद्ध होगा और उसे खातेदारी अधिकार इस प्रकार प्रोदभूत होंगे मानों उसका मामला इन नियमों के अधीन आवंटन का हो" के तहत आवंटी द्वारा उनके हक में नियमित भूमि पर बिल्कुल काशत नहीं की जाने से प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में स्वीकार कर ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर के खसरा नम्बर 447 मिन रकबा 8 बिस्वां (वर्तमान खसरा नम्बर 2254 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म चाही 2) भूमि का अप्रार्थी के पूर्वज के हक में किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किया जाता है तथा भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार तत्काल नामान्तरण दर्ज कर राजहित में कब्जा प्राप्त करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 08.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।



(लोक बन्धु)

जिला कलक्टर, अजमेर